

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज एगिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जसिये सम्मान लब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए डेकबल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद मूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता महेंद्र कुमार के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कर्जनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ही है प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने एक हिस्सा की मूमि को अपने भाईया/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के

का एक हिस्सा है जसिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने के अधिकारी है। वादी का वाद जिक्री फरमाया जावे।
 वादी का पिता है के नाम से दर्ज मूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार अतः वादी का वाद जिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जा करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।
 उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की मूमि को

वादी के नाम से दर्ज मूमि के बराबर के इकदार है।
 प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने एक हिस्सा की मूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद मूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का एक हिस्सा है जसिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने के अधिकारी है।
 वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की मूमि को

वादी के पिता महेंद्र कुमार पुत्र विरबलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कर्जनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ही है जो महेंद्र कुमार पुत्र विरबलराम वादी के पिता महेंद्र कुमार के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
 5800हेक व खसरा न० 1407 की 5.5260हेक कुल 8.1060हेक मूमि वादी के पिता महेंद्र न० 1409/6.4490 कुल 7.2580हेक एवं खाला संख्या 415/99 के खसरा न० 1406 की 2 की रोही मौजा कानसर के खाला संख्या 414/49 के खसरा न० 1408/0.8090 , खसरा राजस्थान काइतकरी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आरथ का पेश किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जसिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 03/03/2020
 प्रोकार राज
 उपस्थित : श्री कर्जदीप खडिया अधिवक्ता वादी

राजस्थान काइतकरी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादीगण

1. सुरेंद्र कुमार पुत्र महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारों की ठाणी तहसील नोहर जिला इन्मानाह हाल निवासी निहाल खंडा तहसील व जिला फाजिल्का नोहर।
2. कमलादेवी पत्नी महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारों की ठाणी तहसील रावतसर हाल निवासी निहाल खंडा तहसील व जिला फाजिल्का
3. पुनम पुत्री महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारों की ठाणी तहसील रावतसर हाल निवासी निहाल खंडा तहसील व जिला फाजिल्का नोहर।
4. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला इन्मानाह।

बनाम

- वादी
1. प्रवीन कुमार पुत्र महेंद्रकुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारों वाली ठाणी तहसील नोहर जिला इन्मानाह।

अनगन :-

वाद सं० : 234 सन 2019

पीठस्थान अधिकारी का नाम : सश्री श्वेता काचर (आर००५०५५०)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड (हनुमानगढ़)
जिला (हनुमानगढ़)

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 3/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसने डेजलास में दफतर हो।

मिसल की गई पञ्चावली नम्बर से कम की जाकर बाद तैरतीव तकमील जाबा दखिल उमयपक्ष अपना अपने करेगी। इसी आशय की पर्चा हिकी जायी की जाकर शामिल यदि मूसि बैक के रहन हो तो बाद रहनमकत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे अथ बाद करने हेतु डेजलास प्राथम पर्य के खतान 5000/- के स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। बहिब का खातेदार कारतकार शोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन महन्द पुत्र विरवलराम को नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1060 हैव मूसि वादी के पिता महन्द कुमार के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है 415/99 के खसरा न0 1406 की 2.5800 हैक व खसरा न0 1407 की 5.5260 हैव कुल 8. खसरा न0 1408/0.8090, खसरा न0 1409/6.4490 कुल 7.2580 हैव एवं खाला संख्या किया जाकर शोधणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाला संख्या 414/49 के साक्ष्य सर्तुती एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण हिकी करने एवं परेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार

है।

जाने के कारण राजपहको की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प हयुटी कायम की जानी न्यायाधिव होने के कारण कबिल हिकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किया सखल एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को प्रकरण पर बरखा होते है के आधार पर बाद वादी साबित वादी के बाद को प्रतिवादीनाण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

प्रकार का ऐजराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में दृकबाल भी पेश किया जा चुका है क हक हिस्सा की मूसि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी

पर्दा डिकी

(आर्डर 20, कल 6-7 जाळा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवधान :-

1. प्रवीन कुमार पुत्र महेंद्रकुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारा बाणी ठाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बादी

बनाम

1. सुरेंद्र कुमार पुत्र महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारा बाणी ठाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी निहाल खेडा तहसील व जिला फाजिल्का
2. कमलादेवी पत्नी महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारा बाणी ठाणी तहसील रावतसर हाल निवासी निहाल खेडा तहसील व जिला फाजिल्का
3. पुनम पुत्री महेंद्र कुमार जालि कुम्हार निवासी कुम्हारा बाणी ठाणी तहसील रावतसर हाल निवासी निहाल खेडा तहसील व जिला फाजिल्का
4. राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीनामा

बाद अन्तर्गत घाटा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व बाद संख्या 234 स्तन 2019 निर्णय दिनांक- 31/3/2020

आज यह बाद मुझे खेला कोदर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता बादी एवं प्रयोजक राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

पर बाद बादी साक्ष्य सगुनी एवं प्रतिवादीनामा की सहमति के अखार पर साबित होने के

कारण बाद बादी डिकी किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाला

संख्या 414/49 के खसरा नं0 1408/0.8090, खसरा नं0 1409/6.4490 कुल 7.2580हेक्टर

एवं खाला संख्या 415/99 के खसरा नं0 1406 की 2.5800हेक्टर व खसरा नं0 1407 की 5.

5260हेक्टर कुल 8.1060हेक्टर भूमि बादी के पिता महेंद्र कुमार के नाम से वर्तमान राजस्व डिकोर्ड

में दर्ज है महेंद्र पुत्र विरवलराम का नाम कलमजब किया जाकर बादी एवं प्रतिवादी संख्या

1 को बाहिब का खालेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व डिकोर्ड में


अंकन करने हेतु ईजायत प्रार्थना पत्र के सलनन 5000/- रु स्टाम तकमीलन शामिल किया

जावे। यदि भूमि बैंक के रहने ही तो बाद रहनमुक्ता राजस्व डिकोर्ड में अंकन किया जावे

अथ बाद उपयुक्त अपना अपना अंकन करेगी।

पर्दा डिकी आज दिनांक 31/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (तहसील)